


आयकर विभाग द्वारा उच्च मूल्य किराये के भुगतानों पर टीडीएस नोटिस

आयकर विभाग ने उन करदाताओं को नोटिस जारी किया है जो ₹50,000 या अधिक का मासिक किराया भुगतान करते हैं लेकिन टीडीएस कटौती नहीं करते हैं। ये नोटिस वर्ष 2023-2024 और 2024-25 के मूल्यांकन वर्षों को कवर करते हैं।

 by OJAANK IAS



टीडीएस आवश्यकता को समझना



मासिक किराया ₹50,000+

आवासीय संपत्ति के लिए ₹50,000 या अधिक प्रति माह भुगतान करने वाले किरायेदारों पर लागू होता है। यह सीमा किराया, रखरखाव शुल्क और सुविधा शुल्क सहित सभी घटकों को शामिल करती है।



टीडीएस दर

अक्टूबर 2024 से प्रभावी 2% टीडीएस दर। पहले यह 5% था। यह कम दर कोई भी कटौती के बिना कुल किराया राशि पर लागू होती है।



किरायेदार की जिम्मेदारी

टीडीएस काटने की जिम्मेदारी किरायेदार की है, न कि मालिक की। किरायेदार को टीडीएस काटने से पहले टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (टीएएन) प्राप्त करना होगा और तिमाही टीडीएस रिटर्न दाखिल करना होगा।



भुगतान का समय

टीडीएस को किराया भुगतान या क्रेडिट होने के समय, जो भी पहले हो, काटा जाना चाहिए। काटी गई राशि को अगले महीने के 7वें तक सरकार में जमा करना होगा।



आवश्यक दस्तावेज

किरायेदारों को कर कटौती का प्रमाण देने के लिए फॉर्म 16A जारी करना होगा। मालिक इस टीडीएस का लाभ अपने आयकर रिटर्न में दावा कर सकते हैं।



किससे प्रभावित करता है

यह विनियमन व्यक्तियों, एचयूएफ (जब तक किराया व्यक्तिगत उपयोग के लिए न हो) और व्यवसायों पर लागू होता है। सरकारी किरायेदार 10% की अलग टीडीएस दर का पालन करते हैं।

राष्ट्रव्यापी नोटिस वितरण

आकलन वर्ष

नोटिस 2023-2024 और
2024-25 आकलन वर्षों को
कवर करती हैं।


HRA दावे

नोटिस उन लोगों को विशेष रूप
से लक्षित करती हैं जिन्होंने
टीडीएस कटौती के बिना हाउस
रेंट अलाउंस का दावा किया।

भौगोलिक दायरा

नोटिस पूरे देश के करदाताओं को जारी की गई हैं।





The advertisement features a central illustration of a student's journey from a stressed state to a successful one. On the left, a student in a red shirt looks distressed with a hand to his face and a question mark above his head. A large black arrow points to the right, where the same student is smiling, holding a certificate and a star. A rocket is shown launching to the right. The background is a grid pattern with a paper airplane icon on the left.

ZERO TO HERO (Bilingual)

2027 ONLINE BATCH

1ST YEAR	2ND YEAR
➔ NCERT Chapter By Chapter	➔ GS (PRE CUM MAINS)
➔ NCERT RFR	➔ Selection Wali Class
➔ Personality Development and Meditation	➔ CSAT
➔ Selection Wali Class	➔ Quality Improvement Program
➔ Quality Improvement Program	

PRICE 1599

Discount Available

STARTS FROM 7TH APRIL 2025

📞 8750711100/22/33/44/55 📞 8285894079

🎯 Limited Seats Available – Don't Miss Out!

📞 Contact Us:

➔ **8750711100 / 22 / 33 / 44 / 55**

➔ **8285894079**

Reply "YES" to book your slot now!

Fill This Form and Apply Now 🖱️ 🖱️ 🖱️

<https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmxc/edit>

अनुपालन न करने के परिणाम



TDS प्रक्रिया की व्याख्या



गणना करें

मासिक किराये की राशि का 2% निर्धारित करें



कटौती करें

इस राशि को किराये के भुगतान से काट लें



जमा करें

TDS को आयकर विभाग में जमा करें




शेष भुगतान करें

शेष 98% को भूस्वामी को दें




TDS Process



छूट की संभावना

कर रिटर्न दाखिल किया गया
भूस्वामी को आयकर रिटर्न दाखिल
करना होगा

प्रमाण प्रदान किया गया
किराएदार को इस जानकारी को कर
अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा



किराया आय घोषित की गई
रिटर्न में किराया आय दिखाई जानी
चाहिए

कर का भुगतान किया गया
किराया आय पर कर का भुगतान
किया जाना चाहिए

व्यावहारिक चुनौतियाँ



गोपनीयता चिंताएं

भूस्वामी गोपनीय कर दस्तावेज़ साझा नहीं कर सकते हैं

H

प्रलेखन बोझ

उचित रिकॉर्ड एकत्र करना और बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है



समय की कमी

समय पर दाखिल करना और भुगतान करना प्रशासनिक दबाव जोड़ता है

LBSNAA के लिए हो जाओ तैयार,

UPSC पर करो बार,

यही वो बैच है मेरे यार!

75 Days Challenge (2025)

Daily Live Doubt Class
10,000 Questions (GS + CSAT)



आरंभ हो
चुका है
1 मार्च से!

Rs.10,000



8750711100/22/33/44/55



8285894079

अब होगा Prelims पक्का Crack IAS Prelims in Just 75 Days!

Ojaank 75 Days Prelims Challenge is here!

- ✓ 10,000 Questions from 15+ Books
- ✓ Chapter-wise Tests & LWMI Notes
- ✓ 20+ Doubt Clearing Sessions
- ✓ 20+ Stress Management Sessions

Batch starts from 1st March! Don't miss this golden opportunity!

Special Offer: ₹10,000 (₹20,000) Limited Time Discount!

Call Now: 8506845434 ,7678530567, 8448807829, 8750711100/22/33/44 Ojaank Sir Whatsapp
Number +91-8285894079

Fill This Form and Apply Now

<https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmxc/edit>

विशेषज्ञ की सिफारिश


"यह सलाह दी जाती है कि सभी कर दाताओं को कानून का पालन करने और डिफॉल्टर न होने के लिए समय पर टीडीएस का सही तरीके से कटौती और भुगतान करना चाहिए।"

यह सलाह अभिषेक मुरली, ऑल इंडिया टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष से आई है।



विशेषज्ञ मार्गदर्शन

कर पेशेवर टीडीएस नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह देते हैं।



समय पर जमा करना

नियमित और समय पर टीडीएस भुगतान जुमाने से बचाते हैं।



स्पष्ट समझौते

किराये के समझौतों में टीडीएस जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।



करदाताओं के लिए विकल्प



**अपडेटेड रिटर्न
दाखिल करें**

एक अपडेटेड रिटर्न
दाखिल करके
एचआरए दावे को कम
करें।



**टीडीएस
अनुपालन शुरू
करें**

भावी किराये के
भुगतानों के लिए
उचित टीडीएस कटौती
शुरू करें।



**पेशेवर सहायता
मांगें**

नोटिसों को हल करने
के लिए कर विशेषज्ञों
से मार्गदर्शन लें।




दस्तावेज एकत्र करें

यदि संभव हो तो
भूस्वामी की कर
अनुपालन प्रमाण
एकत्र करें।

संबंधित कर विकास

TIMELINE



पिछला दर: 5%

टीडीएस दर पहले उच्च मूल्य किराये के लिए 5% पर थी।



वर्तमान दर: 2%

अक्टूबर 2024 से प्रभावी, टीडीएस दर को 2% तक कम कर दिया गया है।



जीएसटी 2.0 चर्चाएं

जीएसटी में समानांतर विकास कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने का लक्ष्य है।



स्तरीय अनुपालन

भविष्य के कर सुधारों में स्तरीय अनुपालन दृष्टिकोण शामिल हो सकते हैं।



Follow Ojaank Sir



IAS with Ojaank Sir



Ojaank_Sir



IAS with Ojaank Sir

Free **PDF** Content
पाने के लिए अभी JOIN करें



8285894079



8285894079

👉 ऐसी ही UPSC Special Current News PDF के लिए Visit करें हमारी Official Website : www.ojaank.com

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link :

<https://www.ojaank.com/books/current-affairs-magazine>

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link : <https://www.ojaank.com/hindi/books/current-affairs-magazine>